झारखण्ड सरकार
भविष्य निधि निदेशालय
योजना-सह-वित्त विभाग

संकल्प

संख्या – 1136/भ०नि०
दिनांक – 31.07.2019

विषय :- **राज्यान्तर्गत एन०पी०एस० / सी०पी०एस० धारकों की कर्मचारी अंशदान एवं समतुल्य सरकारी अंशदान की राशि का संबंधित प्रैन (PRAN) खाता में त्वरित निवेश हेतु Server to Server Integration की कार्रवाई के संबंध में ।**

राज्यान्तर्गत एन०पी०एस०/सी०पी०एस० धारकों की कर्मचारी अंशदान एवं समतुल्य सरकारी अंशदान की राशि धारकों के प्रैन (PRAN) खाता में निवेशित किये जाने हेतु संबंधित सी०आर०ए०-एन०एस०डी०एल० को प्रेषण में हो रहे विलंब को समाप्त करने के प्रयोजनार्थ Server to Server Integration की कार्रवाई को पूर्ण करने हेतु वर्त्तमान में प्रचलित व्यवस्था / प्रक्रिया में आवश्यक परिवर्तन के लिए सुझाव देने हेतु गठित समिति द्वारा निम्नवत् परामर्श दिया गया : -

क) राज्य के कोषागारों / उप-कोषागारों से संबंधित प्रत्येक माह के प्रत्येक पाँच-पाँच दिनों के निर्धारित Slot के लिए- (जिसके आँकड़े संबंधित बैंक से e-Payment के बाद Bank Scroll अद्यतन किये जाने के पश्चात् ही generate होते हैं एवं इस प्रक्रिया में data generation में वास्तविक भुगतान तिथि से भिन्नता हो सकती है) ऑनलाईन generated data के आधार पर NPS contribution Fund Upload की कार्रवाई की जायेगी तथा Online generated Transaction ID के आधार पर संपूर्ण राशि का एक ही विपत्र तैयार किया जायेगा जिसकी निकासी विपत्र कोड-83420011700010101 से होगी ।

ख) विपत्र की कुल राशि की आधी राशि मुख्यशीर्ष 2071 अंतर्गत विपत्र कोड-20710111700030648 के लिए उपबंधित राशि से व्यय होगी जिसके लिए Treasury Application System में पी०एम०यू० कोषांग से सम्यक् modification कर दिया जायेगा । Modification इस प्रकार का होगा कि उक्त विपत्र कोड की राशि शीर्ष 8342 का विपत्र कोड में transfer के रुप में प्रदर्शित हो जाय । शीर्ष 2071 विपत्र कोड की राशि book transfer के द्वारा शीर्ष 8342 में हस्तांतरित होगी जिसे कोषागार पदाधिकारी के द्वारा विपत्र पारित करने के पूर्व authorize किया जायेगा ताकि उक्त दोनों शीर्ष के अंतर्गत व्यय राशि का मासिक लेखा संधारण में किसी प्रकार की असुविधा न हो ।

कृ०पृ०उ०

2. उक्त परामर्श के आलोक में राजकीय खजाने से विपत्र की निकासी की प्रक्रिया में निम्नवत संशोधन किया जाता है : -

क) System generated online Transaction ID के आधार पर एक विपत्र तैयार होगा जिसकी निकासी मुख्यशीर्ष-8342 अंतर्गत विपत्रकोड-834200 11700010101 से की जायेगी ।

ख) उक्त विपत्र की आधी राशि- जो सरकारी अंशदान की राशि होगी तथा कर्मी अंशदान के समतुल्य होगी- मुख्यशीर्ष-2071 अंतर्गत विपत्रकोड-2071 0111700030648 के लिए उपबंधित राशि से व्यय होगी । इसके लिए Treasury Application System के software में modification की आवश्यकता होगी ताकि शीर्ष-2071 के विपत्र कोड की राशि मुख्यशीर्ष-8342 के विपत्र कोड की राशि में transfer के रुप में प्रदर्शित हो जाय तथा कोषागार पदाधिकारी के द्वारा विपत्र पारित करने के पूर्व book transfer के रुप में authorize किया जायेगा ताकि उक्त दोनों शीर्षों के अंतर्गत व्यय राशि का मासिक लेखा संधारण सुगम हो जायेगा ।

ग) उक्त प्रक्रिया के अनुसार विपत्र की राशि की निकासी चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के 01 अगस्त'2019 से प्रभावी होगी ।

3. उक्तानुसार विपत्र की निकासी भविष्य निधि निदेशालय, झारखण्ड, राँची के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के द्वारा सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची से की जायेगी ।

4. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति विभागीय संलेख ज्ञापांक 980/भ. नि. दिनांक 03.07.2019 के क्रम में दिनांक 09.07.2019 की बैठक में मद संख्या 03 में दी गई है ।

<u>आदेश</u> :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखंड, राँची / सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष को प्रेषित किया जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

26/7/19

(के० के० खण्डेलवाल)
सरकार के अपर मुख्य सचिव
योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची

कृ०पृ०उ०

ज्ञापांकः-जी.पी.एफ.-43-260/2017...1136/अ०नि०......रॉंची, दिनांक..31.07.2019......
प्रतिलिपि - महालेखाकार (लेखा एवं हक०), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(के० के० खण्डेलवाल)
सरकार के अपर मुख्य सचिव
योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची

ज्ञापांकः-जी.पी.एफ.-43-260/2017...1136/अ०नि०......रॉंची, दिनांक..31.07.2019......
प्रतिलिपि - सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त / सभी कोषागार / उप कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड / सभी जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, झारखण्ड / नोडल पदाधिकारी, पी.एम.यू. कोषांग, योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(के० के० खण्डेलवाल)
सरकार के अपर मुख्य सचिव
योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची

ज्ञापांकः-जी.पी.एफ.-43-260/2017......1136/अ०नि० रॉंची, दिनांक..31.07.2019
प्रतिलिपि - अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय डोरंडा, राँची को सूचनार्थ एवं आगामी गजट में प्रकाशन हेतु प्रेषित ।

(के० के० खण्डेलवाल)
सरकार के अपर मुख्य सचिव
योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची